



# कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर-1, नौगांवा

(निदेशालय विस्तार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)



नौगांवा – 301025, अलवर (राजस्थान), दूरभाष-01468-294276, मो.9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com

कं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2023-24/ 27-34

नौगांवा, (अलवर) दिनांक : 19.04.2023

## खुली निविदा क्रमांक-1. प्रपत्र

1. कार्य का नाम व क्रमांक	अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तीय वर्ष 2023-24
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. धरोहर राशि की प्रकृति	10000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट
5. कार्य की अनुमानित मात्रा	Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में कृषि एवं सम्बन्धित कार्य, खेतों एवं फसल, बागवानी, रात्रि चौकीदार, सफाई कर्मी, मुर्गी एवं बकरी पालन आदि कार्य हेतु अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति अनुमानित लागत 5.00 लाख रु.
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	28.04.2023 को सुबह 11.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	28.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	28.04.2023 को दोपहर 2.00 बजे
9. पृष्ठ संख्या दौ से चार	निविदा की शर्तें
10. परिशिष्ट संख्या एक – पृष्ठ संख्या पांच	श्रमिकों की आपूर्ति कार्य हेतु दरों का विवरण
11. पत्राचार हेतु पता-वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर	फोन नं.: 01468-294276 (कार्यालय) मोबाईल नं0- 9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com

## निविदा की शर्तें:-

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर "अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य" लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट रूप लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कार्यालयिन कार्य/शस्य क्रियायें आदि सम्बंधित वैज्ञानिक या फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले लघु औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी। जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
4.	फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/फर्म की होगी।
5.	श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने व निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
6.	श्रमिकों को आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
7.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले आवश्यकतानुसार अथवा एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
8.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य

	किसी भी नशाले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
9.	कार्यालय की सुरक्षा तथा फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें नसरी, प्रदर्शन ईकाईयां मुर्गी, बकरी ईकाई, नेट हाउस, ट्यूबवैल व फील्ड में लगे चारों तरफ के पेड़ों एवं बाउन्ड्री की चौकीदारी एवं सुरक्षा भी करनी होगी।
10.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11.	श्रमिकों को बीमार होने, दुर्घटना होने या अन्य श्रमिकों को क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।
12.	श्रमिकों को सभी कार्य समय पर प्रभारी अधिकारी, फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की माँग के अनुसार करने होंगे यदि कोई श्रमिक कार्य समय पर नहीं करता है या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा श्रमिक को अनुपस्थित करार दिया जायेगा व मजदूरी भुगतान नहीं किया जावेगा।
13.	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह समय पर अग्रिम करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय में बिल प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान नियमानुसार ट्रेजरी से पास होने पर किया जावेगा।
14.	रात्रि चौकीदारी को छोड़कर शेष अन्य श्रमिकों के कार्य का समय सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक या शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
15.	आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार /श्रमिक की होगी।
16.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPPA2012, वं RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
18.	सफल निविदादाता को 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
19.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
20.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड एवं विधिमान्य श्रमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करें।
21.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
23.	उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
24.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर/टीडीएस कटौती की जायेगी। जिसके लिए पेन कार्ड की स्वसत्यापित प्रतिलिपि एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी श्रमिकों की आपूर्ति हेतु वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
25.	ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/ फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. श्रमिकों के नाम से उनके खातों में जमा कराना होगा जिसकी सत्यापित प्रति कार्यालय में बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं जिसका निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
26.	सर्विस टैक्स/जीएसटी/ आयकर हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तथा सर्विस टैक्स/जीएसटी/ आयकर/ टीडीएस कटौती मान्य दरों से विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार काट ली जावेगी।
27.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
28.	श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन/प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय में बिल प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. के भुगतान एवं खाते में मजदूरी की राशि का स्थानान्तरण का बैंक विवरण प्रथक

	रूप से पूर्ण विवरण के साथ सत्यापित कर सलग्न कर प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच के उपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
29.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नहीं दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा।
30.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के लिए रु. 10000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
31.	<p>➤ सीलबन्द एक लिफाफे तकनीकी रूप से समिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके उपर बाहर <u>तकनीकी दस्तावेज</u> लिखा जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति</li> <li>2. सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर/पेन कार्ड/ई.एस.आई./ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रतियां</li> <li>3. सी.ए. से प्रमाणित तीन साल का टर्नओवर का प्रमाण पत्र</li> <li>4. निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित।</li> <li>5. धरोहर राशि के लिए रु. 10000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट</li> <li>6. ठेकेदार / फर्म द्वारा घोषणा पत्र की फर्म काली सूची में नहीं है। एवं किसी सरकारी कार्यालय अथवा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की कोई ईकाई द्वारा किसी प्रकार का मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित आक्षेप लम्बित नहीं है। (प्रपत्र-ब)</li> <li>7. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो।</li> </ol> <p>➤ सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तीय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 अवश्य एवं अलग से रखा जावे। जिसके उपर बाहर <u>वित्तीय दरें</u> लिखा जावे।</p> <p>➤ तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।</p> <p>➤ दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे मे बन्द कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जावें</p>
32.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। सेवा प्रदाता को सर्विस टैक्स/ सेवा प्रदाता का चार्ज के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। अन्य सभी भुगतान श्रमिकों के पक्ष में राजस्थान सरकार के श्रम विभाग एवं वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। तथा सभी सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
33.	प्रस्तावित दर अंको में स्पष्ट लिखकर देनी होगी किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
34.	निविदादाता / फर्म द्वारा पिछले तीन साल का टर्नओवर का प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
35.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार एवं वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के अनुसार लागू होगी।
36.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही इस बोली में भाग लेने हेतू अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजा के साथ इस संस्था को प्रस्तुत करनी होगी।
37.	संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
38.	कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक भुगतान में यदि किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत होने पर शास्ति राशि रु. 500/- प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान में देरी से होने पर कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
39.	संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अशंदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के


	अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
40.	संवेदक को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा भुगतान की गई राशि का पृथक चालान जमा करवाना होगा तथा गत माह के ई.पी.एफ. बिलों के भुगतान के ई.पी.एफ. चालान प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी माह के बिलों को भुगतान हेतु प्रोसेस किया जावेगा।
41.	राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
42.	श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
43.	नियमानुसार टीडीएस एवं आयकर काटा जावेगा।
44.	कार्यो का भुगतान संतोषजनक होने पर ही प्रत्येक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
45.	बिना प्रतिफल वाली निविदा स्वीकार नहीं होगी।
46.	मैं उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहूंगा।
47.	उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म /प्लेसमेंट एजेन्सी/संवेदक के हस्ताक्षर एवं मौहूर कर दी है।

### निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहूर

नोट- निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी-

1. लिफाफा नं० 1 में फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिडसिक्यूरिटी के DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं० 2 नहीं खोला जावेगा।
2. लिफाफा नं० 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

हस्ताक्षर ठेकेदार



Senior Scientist & Head  
KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र विभिन्न कार्यों हेतु कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा।/ (संलग्न लिफाफा नं 1. में रखे)

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

मैं ..... उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए कृषि एवं सम्बन्धित कार्य हेतु अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ। सभी सम्बन्धित दस्तावेज, आयकर विवरणी, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, PAN, GST नम्बर, बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration) सर्टिफिकेट सलग्न है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य हेतु दरों का विवरण  
वर्ष 2023-24

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (₹)	EPF दर प्रतिशत (%13) (₹)	ESI दर प्रतिशत (%3.25) (₹)	सेवा प्रदाता का चार्ज दर प्रतिशत (प्रति श्रमिक प्रति दिवस के अनुसार) (₹)	कुल राशि (9= 5 से 8 का योग)
		कार्य हेतु आवश्यक मानव के साधन का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन (₹)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	259					
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	271					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	283					
4	उच्चकुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	333					

- सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तीय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 अवश्य एवं अलग से लिफाफा नं. 2 में रखा जावे। जिसके उपर बाहर वित्तीय दरें लिखा जावे।
- राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन न्युनतम मजदूरी के अनुरूप दरे रहेगी तथा परिवर्तन होने पर परिवर्तित की जा सकेगी जौ, वित्त नियंत्रक श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के आदेशानुसार होगी।
- मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/ हमने प्लेसमेन्ट कार्य / सेवा ईकाई द्वारा जहां कहीं भी श्रमिक आपूर्ति की है उस आपूर्ति में विगत तीन वर्षों में आपूर्ति सेवा ईकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने / होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/एजेन्सी /उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है एवं किसी सरकारी कार्यालय अथवा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की कोई ईकाई द्वारा किसी प्रकार का मजदुरी भुगतान से सम्बन्धित आक्षेप लम्बित नहीं है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरा /हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में डिफाल्टर का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर